International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-10, Issue-3 May-June-2023
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

''शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की व्यवहारिक स्थिति का उत्तर प्रदेश के वाराणासी एवं आजमगढ़ मण्डल की निजी शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में एक प्रयोगात्मक अध्ययन''

Meera

Research Scholar Singhania University, Pacheri Bari (Jhunjhunu)Raj.

Dr. Sunita Yadav

Supervisor Asso. Professor Singhania University, Pacheri Bari (Jhunjhunu)Raj

1 सार–

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में सामाजिक समरसता का विकास करने का प्रयास किया गया। इसी विकास के क्रम में शिक्षा पर भी ध्यान दिये जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप निम्न कार्यक्रम चलाये गये–

सर्व शिक्षा अभियान

प्रौढ़ शिक्षा

सबके लिए शिक्षा

राष्ट्भ्य साक्षरता मिशन

इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित बनाना और इनके सामाजिक जीवन के स्तर को उँचा उठाना था जिससे ये अपना विकास कर सकें।

86 वें सविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21–क में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अब राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेगा। अनुच्छेद 45 में भी शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत राज्य 6 वर्ष तक के सभी

बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख एवं शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 21– क में शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया जाना था।

शिक्षा का अधिकार कानून एक अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। अब शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होगी। शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। अर्थात् इस विषय पर केन्द्र और राज्य दोनों कार्य करेंगे, किन्तु केन्द्र सरकार ने सिर्फ उच्च शिक्षा पर ही ज्यादा ध्यान दिया प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा उचित संसाधन उपलब्ध करवाये गये है।

अतः शिक्षा का अधिकार केवल कानून बन रह गये। इसके क्रियान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को मिलकर कार्य करना होगा तभी शिक्षा का अधिकार सबको उपलब्ध हो पायेगा।

कानूनी तौर पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने वाला यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। इसका प्रारूप बनाने और संसद में रखे जाने के समय जो बहार शुरू हुई थी वह अब समाप्त प्राय हो गई हैं। एक तरफ जहां इसे ऐतिहासिक कानून बताया जा रहा था वहीं दूसरी तरफ इसे भारत की गरीब जनता के साथ एक छलावा और शिक्षा के बाजारीकरण की तरफ एक कदम बताया जा रहा है।

क्या यह विधेयक भारत के सभी बच्चों को समान गुणवत्ता की शिक्षा देने की प्रतिबद्वता जाहिर करता है। बिल्कुल नही। यह सबके लिए एक न्यूनतम मादण्डों वाले स्कूल की उपलब्धता की बात जरूर करता है।, लेकिन यह समान गुणवत्ता की शिक्षा के प्रति कोई प्रतिबद्वता नही दिखाता। सरकार ने पिछले 60 वर्षो में विभेदकारी शिक्षा की जो भूल– भुलैया खडी की है।

उससे देश के बच्चों को मुक्ति दिलाने का इस अधिनियम का कोई इरादा नही लगता है। अब भी पैसे वालो को उसकी समझ से अच्छी शिक्षा मिलेगी और गरीब को एक न्युनतम मानदण्डों वाला स्कूल। उस स्कूल में शिक्षा कैसी होगी, इसकी कोई गांरटी यह अधिनियम नही दे रहा है। गांरटी के तौर पर जो कुछ दिया जा रहा है उसमें बाल केन्द्रित शिक्षा की अधकचरी समझ के आधार पर कुछ नारे भर है और उनसे कुछ होने वाला नही है तो क्या हम इस नतीजे पर पहुंच सकते है कि यह अधिनियम असमानता को

दूर करने में और हाशिए पर जी रहे समुदायों के बच्चों तक समान शिक्षा की बात न कर पाता हो। यह अधिनियम इसकी सारी कमियों के बावजूद भी बच्चे के लिए शिक्षा का भार अभिभावक पर डालता है। साथ ही जो बात किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में सब जानते और मानते है कि लोकतंत्र के समुचित संचालन के लिए शिक्षा जरूरी है और वह पूरी तरह से राज्य की जिम्मेवारी है– इसे संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया है। ठीक है कि यह स्वीकारोक्ति राज्य की तरफ से आधी–अधूरी और बेमन से है एवं यह विभिन्न तरह के राजनैतिक दबावों के कारण है। फिर भी यह स्वीकारोक्ति राज्य की जिम्मेदारी लोगों को न्यायालय में ले जाने के लिए कुछ हद तक मददगार होगी।

यदि अधिनियम में अलग–अलग जगह दी गई कुछ चीजों को एक साथ देखे तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिनियम की धारा चार के अनुसार :–

(1) जो बच्चे कभी विद्यालय गये ही नहीं या जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ दिया था, वे यदि छह साल से ज्यादा ही उम्र में विद्यालय आते हैं तो उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात् 12 वर्ष के बच्चे को छठी या सातवीं में प्रवेश मिलेगा।

(2) ऐसे¦ बच्चों को अपनी कक्षा के साथ चलने के लिए तैयार करने के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण लेने का हक होगा।

(3) इन बच्चों को 14 वर्ष की उम्र के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी न होने तक शिक्षा प्राप्त करने का हक होगा।

धारा 26 के अनुसार किसी भी बच्चे को शाला में प्रवेश दिए जाने के बाद न तो 'फेल' किया जा सकेगा और न ही शिक्षा पूरी होने तक शाला से निकाला जा सकेगा। धारा 30 (1) के अनुसार किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक कोई बोर्ड परीक्षा पास नहीं करनी होगी तथा धारा 30 (2) के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले को निर्धारित रीति से प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

इन सब प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से साफ होता है कि अधिनियम के लागू होने के बाद दूर–दराज के ग्रामीण इलाकों की कक्षाओं में विभाजित शालाएं बहुत ठीक से नहीं चल सकेंगी। एक तरफ

उन सभी बच्चों को लाने की जिम्मेवारी होगी, दूसरी तरफ बच्चों को उम्र के अनुसार कक्षा में भर्ती करना होगा और उन्हें फेल नहीं कर सकतें। हमारे यहाँ कक्षाओं में पढ़ाने के परंपरागत सामूहिक तरीके में अभी नए आने वाले एवं पीछे चलने वाले बच्चों पर अलग से ध्यान देने की कोई संभावनाएं नहीं है और न ही शिक्षकों को एक ही कक्षा में एक से अधिक स्तरों पर पढ़ाई करवाने का कोई अभ्यास है। कहने को उम्र के अनुसार भर्ती किए जाने वाले और पीछे चलने वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण का हक होगा, पर यह ले देकर वहीं पुराना 'ब्रिज कोर्स सिस्टम' होने वाला है। अभी तक इस तरीके से कोई भी बच्चा अपने शैक्षणिक स्तर पर आने में सफल हुआ नहीं है। हालांकि ब्रिज कोर्स उद्योग पर फलने–फूलने वाले सरकारी उपक्रमों और गैर–सरकारी संस्थाओं के दावे जरूर हैं। पर यह शिक्षा की खानापूर्ति का तरीका भर रहे हैं। तो यह सब अब कागजों पर होने वाला है। कागजों पर ब्रिज कोर्सेज होंगे, कागजों पर बच्चे भर्ती होंगे, उनका समय और सतत मूल्यांकन होगा और उनकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। आज भी ग्रामीण इलाकों में ऐसे बच्चों की बड़ी संख्या है जो शाला के रजिस्टर में पांचवीं पास हैं, पर स्वयं न कभी शाला गए, न उनको पढ़ना–लिखना आता है, इस तरह के प्रावधान से अब यह संख्या और बढ़ेगी। यह सोचने–समझने की कोशिश हुई ही नहीं है कि बच्चों के लिए जो प्रावधान किए जा रहे है, वे कक्षावार विभाजन शाला में सम्भव ही नहीं हैं। जब आप बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में रख रहे हैं, परीक्षा ले नहीं सकते, पास–फेल करना है नहीं, तो कक्षा की परिभाषा क्या है ? कक्षा की धारणा में जरूरी है एक साल में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, पूरा नहीं करने पर फिर एक साल में दोबारा करना अर्थात् फेल होकर पुनः उसी कक्षा में पढ़ना और कक्षा के सारे बच्चो को एक ही गति से पढ़ाना। इसके बिना कक्षा के मायने क्या है ?

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के खिलाफ एक बात यह कही जा रही है कि यह कानून शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देगा। निजी विद्यालयों में इस अधिनियम की पालना के लिए जिन 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा उनका शुल्क भी सरकारी खजाने से देने की बात कही गई हैं। पर देखने की बात यह है कि निजी विद्यालय तो देश में पहले से ही मौजूद हैं। उनमें वे विद्यालय भी है जो वास्तव में शिक्षा के प्रसार के लिए पूरी ईमानदारी से जनहित में खोले गए हैं और मुनाफा कमाने का कोई इरादा

इनके खोलने वालों के मन में नहीं रहा। पूरे देश में शायद हजारो विद्यालय इस प्रकार के होंगे। वाराणासी व आजमगढ़ इलाके का शिक्षा में आगे होने में इन विद्यालयों का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ निजी विद्यालयों में वे विद्यालय भी हैं जो केवल मुनाफा कमाने की इच्छा से ही खोले गए हैं, जहां जनहित या शिक्षा के फैलाव का कोई भी जज्बा आसपास भी नहीं है। ये ठीक है कि ये विद्यालय खुले तौर पर नहीं कह सकते कि इनका इरादा केवल मुनाफा कमाने का है, क्योंकि ये सभी अलाभकारी समितियों या ट्रस्टों के नाम पर चलाए जा रहे। पर सरकार और उसके अंधे बाबुओं को छोड़कर बाकी सभी जानते हैं कि यहाँ मुनाफा ही एक मात्र प्रेरणा है। क्या यह अधिनियम इस दूसरी तरह के मुनाफाखोर विद्यालयों को बढ़ावा देता है, क्या जिस कमजोर वर्ग को लाभ पहुँचानें के लिए 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण निर्धारित किया है, क्या वास्तव में उस वर्ग को यह लाभ प्राप्त हो रहा है? या केवल प्रवेश देने के बाद उनसे अन्य मदों के नाम पर शुल्क लिया जा रहा है? ये सब बातें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, जिसका अध्ययन करना आवश्यक है।

2 समस्या का औचित्य :–

प्राचीनकाल की भांति वर्तमान समय में शिक्षा को व्यक्ति का भाग्य का फल नहीं माना जा सकता है। वर्तमान लोकतांत्रित राजव्यवस्था तथा विकसित मानव समाज में व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार कर उसे अपने विकास के लिए उपर्युक्त परिस्थितियां उपलब्ध करवाने का भरसक प्रयास किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा में भी शिक्षा प्राप्त करना एक मानव अधिकार माना जाता है। राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की सुलभता करवाना देशों का कर्त्तव्य बना दिया गया है।

अतः विकास के इस दौर में भारत ने भी अपनी भागीदारी दर्ज की है।

शोध के माध्यम से शोधकर्ता ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि 1 अप्रैल 2010 को पारित ''बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वाराणासी व आजमगढ़ जिले के निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया की वस्तुस्थिति'' क्या है ?

किसी भी देश में अच्छी शिक्षा के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग आज भी शिक्षा प्राप्ति को अधिक महत्व नहीं देते है। ऐसे में धनिक वर्ग, के बच्चे उच्च शिक्षा में अग्रणी रहते है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो पाती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ''बालकों का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है इस अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बालकों को निजी शिक्षण संस्थाओं में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाना आवश्यक है इसलिए इस अधिनियम के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया में पादर्शिता, इसके मार्ग में आने वाली समस्याओं तथा वास्तविक स्थिति की जाँच हेतु आवश्यक है कि इस पर शोध किया जावे। जिससे निजी शिक्षण संस्थाओं की वस्तुस्थिति ज्ञात हो सके और वंचित वर्ग के बालकों को अपेक्षित लाभ मिल सके।

3 समस्या कथन

समस्या के क्षेत्र के निर्धारण के बाद शोधकर्ता समस्या कथन करती है, किसी भी अनुसंधान काय में समस्या कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है समस्या अधिकथन मात्र शोध प्रबन्ध के शीर्षक का उल्लेख मात्र नहीं है, यह कथन सुस्पष्ट लक्ष्य केंद्रित करने का प्रयास करता है।

करलिंगर ने एक समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित चार कसौटियों का वर्णन का वर्णन किया गया है :—

1. समस्या कथन स्पष्ट व सुनिश्चित होना चाहिए।
2. समस्या कथन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे पूर्वगामी कारकों तथा पश्चात्गामी कारकों से सम्बन्धित विशिष्ट घटना एक स्वरूप सुनिश्चित रूप से स्पष्ट हो सके।
3. समस्या से सम्बन्धित चर तथा आश्रित चर पूर्ण तथा स्पष्ट चाहिए।
4. समस्या कथन ऐसा होना चाहिए जिससे सम्बन्धित चरों का अध्ययन अनुभाविक आधार पर किया जा सके।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने वर्तमान समस्या का कथन इस प्रकार किया है।

‘‘ शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की व्यवहारिक स्थिति का उत्तर प्रदेश के वाराणासी एवं आजमगढ़ मण्डल की निजी शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में एक प्रयोगात्मक अध्ययन’’

4 शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रत्येक शोध कार्य का आधार स्तम्भ शोध के उद्देश्यों से होता है जो शोधकर्ता का मार्गदर्शन करते हैं। अतः प्रत्येक शोध कार्य का प्रारम्भ करने से पूर्व उसके उद्देश्य निर्धारित किये जाने आवश्यक है।

इस शोध अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य ‘‘बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू करने के, आज 13 वर्ष पश्चात् इसके अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना शोध कार्य किया है। हमारा उद्देश्य इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं वस्तुस्थिति का अध्ययन करना है। निम्नलिखित उद्देश्य इस प्रकार है –

1. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के लक्ष्य एवं मुख्य मुद्दों का अध्ययन करना।
2. बालकों का निःशुल्क और विभाग का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अध्ययन करना।
3. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निजी शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए 25 फीसदी आरक्षण की अनुपालना की जा रही हैं या नहीं का अध्ययन करना।
4. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की की गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन करना।

5. बालकों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित विद्यार्थी निजी स्कूलों के वातावरण का अध्ययन करना।

6. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम से निजी शिक्षण संस्थाओं पर पड़ने वाले वित्तीय भार का अध्यन करना।

5 शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं

परिकल्पनाऐं एक ऐसा पूर्वविचार है जो कि अध्ययनकर्ता अपने अनुसंधान की समस्या के बारे में बना लेता है तथा फिर उसकी सार्थकता की जांच करने के लिए आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करता है। यदि अनुसंधान के लिए प्राप्त किये गये तथ्यों में उसकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है तो यह विचार जिसे परिकल्पना कहा जाता है एक सिद्धान्त का रूप धारण कर लेता है।

प्रस्तुत अध्ययन ''बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वाराणासी एवं आजमगढ़ जिले के निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया की वस्तुस्थिति का एक अध्ययन।'' एक व्यापक विषय है तथा इस शोध के निष्कर्षों के अनुमान के आधार शोध अध्ययन की निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं –

1. अभिभावकों में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी नहीं होने से उनमें जागरूकता की कमी है।

2. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पालना सही रूप में नहीं हो रही है।

3. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

4. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित विद्यार्थी निजी स्कूलों के वातावरण में समायोजित नहीं हो पा रहे हैं।

5. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के लागू होने से निजी शिक्षण संस्थानों की वित्तीय स्थिति पर विपरित प्रभाव पड़ा है।

6 शोध में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली

शोध को परिशुद्ध व उत्तम रूप प्रदान करने हेतु उसकी भाषा स्पष्ट, सुग्राही होना आवश्यक है। प्रस्तुत कार्य में कुछ महत्वपूर्ण शब्द शिक्षा का अधिकार प्रवेश प्रक्रिया एवं कमजोर वर्ग आदि शब्दावली का प्रयोग हुआ है अतः इस शोध कार्य में इन शब्दों का परिभाषिक विवेचन निम्नवत है –

(1) शिक्षा का अधिकार

बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया जिसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के रूप में जाना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को भारत लोकसभा द्वाा तथा 2 जुलाई 2009 को राज्य सभा के अनुमोदन के बाद पारित किया गया था। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। राजपत्र में निःशुक बालकों के अधिकार पर और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया सितम्बर 2009। 1 अप्रैल 2010 पर यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू हुआ।

(2) प्रवेश प्रक्रिया

देशभर में स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए है। इसकी आवष्यकता इसलिए महसूस की गई कि कुछ राज्यों में स्कूलों में बच्चों को पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नामांकन हेतु स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है यह अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संस्था आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह मांग की है कि सरकारी आदेश जारी कर स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाए।

प्रवेश प्रक्रिया को पुनः शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अन्य राज्यों में भी उल्लंघन न किया जाये, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी प्रमुख सचिवों को अपने पत्र में सरकारी आदेशों द्वारा सभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने की मांग की। जो निम्नलिखित है –

1. प्रवेश प्रक्रियाएं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप हो।
2. सभी विशेष वर्गों के स्कूलों तथा बिना सहायता वाले निजी स्कूलों में कमजोर वर्गो के लिए 25 प्रतिशत सीट का आरक्षण सुनिश्चित किया जाये तथा सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए।

(3) कमजोर वर्ग

समाज के गरीब और पिछड़ेपन के हाशिए पर रहने वाले अभिभावक जो अपने बच्चों के लिए आधुनिक सुविधा वाले निजी स्कूल, विद्यालय गणवेश (यूनिफार्म) पाठ्य पुस्तकें, मध्य भोजन, परिवहन तथा स्कूल फीस वहन करने में सक्षम नहीं हैं। अर्थात् उपर्युक्त साधनों के अभाव में बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं करवा पा रहे है।

7 शोध अध्ययन की परिसीमाएं

किसी भी समस्या के गहन एवं वैज्ञानिक अध्ययन व शोध को उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका परिसीमन किया जाये इससे शोध प्रक्रिया में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तथा शोध को वैध एवं विश्वासनीय बनाने एवं इससे उपयोगी परिणामों व निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए इसका परिसीमन किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत शोध को वाराणासी एवं आजमगढ़ जिले के 40 विद्यालयों तक ही सीमित रखा गया है। प्रस्तुत शोध मे वाराणासी एवं आजमगढ़ जिले के 20 ग्रामीण निजी विद्यालय तथा 20 शहरी निजी विद्यालयों तक ही सीमित रखा है।

8 शोध प्रविधि

वर्तमान शोध में शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। सर्वेक्षण विधि का सम्बन्ध वर्तमान से होता है तथा इसके अन्तर्गत अनुसधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। शैक्षिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का ही सर्वाधिक उपयोग किया जाता है।

9 न्यादर्श

वर्तमान शोध में न्यादर्श के चुनाव हेतु **यादृच्छिक विधि** का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए प्रतिदर्श समष्टि के विभिन्न स्तरों से चुना जाना था, जैसे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निजी विद्यालयों के अभिभावक व विद्यार्थी। इन सदस्यों में बहुत अधिक भिन्नता होती है ऐसी परिस्थितियों में यादृच्छिक विधि को ही चुना गया। प्रस्तुत शोध में उत्तरप्रदेष के वाराणासी एवं आजमगढ़ जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 40 निजी विद्यालयों को लिया गया। प्रत्येक क्षेत्र से क्रमशः 20–20 निजी विद्यालयों को चुना गया। प्रत्येक विद्यालय से 5 अभिभावकों को जिनके बच्चों का इस अधिनियम के तहत चयन किया गया हैं एवं उन विद्यार्थियों को भी न्यादर्श के रूप में लिया गया । इस प्रकार कुल 200 अभिभावक एवं 200 ही विद्यार्थी न्यादर्श के तौर पर चुने गये।

10 उपकरण

इस अध्ययन में अभिभावकों व विद्यार्थियों द्वारा, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वाराणासी एवं आजमगढ़ जिले के निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया की वस्तुस्थिति को जनना हैं।

अतः प्रस्तुत अध्ययन में दत्त संकलन प्रक्रिया को विद्यार्थियों एवं अभिभावकों हेतु **"स्वनिर्मित प्रश्नावली"** द्वारा पूर्ण किया गया।

11 सांख्यिकी

अनुसंधान कार्य में प्रायः बहुत से आँकड़ों को एकत्र करना होता है। यदि इनको ज्यों का त्यों ही प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह आँकड़ों के समूह के अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं रखेगा। अतः यह

आवश्यक होता है कि आँकड़ों को व्यवस्थित करके इस प्रकार प्रस्तुत किया जाये कि अध्ययन की गयी विशेषताओं का परिचय सुगमता से हो सके। शोधकर्ता ने वर्तमान शोध कार्य के लिए न्यादर्श से आँकड़े एकत्रित किये, इन आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए कुछ आधारभूत सांख्यिकीय गणनाओं का संक्षेप में परिचय निम्नानुसार है :–

– प्रतिशत सूत्र
– अंको को योग
– किसी परीक्षण में पूर्णांक या कुल न्यादर्श
– आँकड़ों का रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन

12 निष्कर्ष

1. अभिभावकों में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी नहीं होने से उनमें जागरूकता की कमी है।

2. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पालना सही रूप मे नहीं हो रही है।

3. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् चयनितत विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

4. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् चयनित विद्यार्थी निजी स्कूलों के वातावरण में समायोजित हो पा रहे हैं।

5. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने से निजी शिक्षण संस्थानों की वित्तीय स्थिति पर कोई विपरित प्रभावत नहीं पड़ा है।

13 सुझाव

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष के आधार पर निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार का सही क्रियान्वयन करने में कड़ी समस्याओं को देखा गया है। अतः इन समस्याओं का निवारण करके ही इस अधिकार को

विद्यालयों में अच्छे से लागू किया जा सकता है। यहाँ इस शिक्षा के अधिकार को लगू करने के लिए निजी विद्यालयों, सरकार एवं समाज तीनों को हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा। बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता की दृष्टि को हटाया जाए तथा उन्हें शिक्षा का महत्व बताया जाये।

निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को सुधारा जाए ताकि बच्चों को आने वाली निजी विद्यलायों में प्रवेश सम्बन्धी समस्याओं का सामना ना करना पड़े तथा अभिभावक डोनेशन की बोझिलता के चलते निजी विद्यालयों से ना भागें। इसके साथ ही निजी विद्यालयों में प्रवेशित गरीब एवं कमजोर वग के बच्चों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार अच्छा तथा मित्रतापूर्ण होना चाहिए तथा उन्हें स्नेह एवं प्यार से समझाना चाहिए तथा भेद–भाव वाली स्थिति को त्याग देना चाहिए। इससे बच्चे निजी विद्यलायों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रवेश लेने लेंगे और प्रवेश की समस्या खत्म हो जायेगी।

आज भी देखा गया कि शिक्षा का अधिकार लागू होने के 13 साल बाद भी हम बच्चों को 1–3 कि.मी. के दायरे मे विद्यालय उपलब्ध नहीं कारवा पाये हैं, अतः बच्चों को घर से विद्यालयों की दूरी नियमों के अनुसार करनी होगी। निजी विद्यालयों में भी बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था की जरूरत है। निजी विद्यालयों में कैपीटेशन शुल्क की व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। वर्दी, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था भी निःशुल्क कर देनी चाहिए। अतः यहाँ ऊपर दी गई समस्याओं का निवारण करके शिक्षा का अधिकार 2009 का प्रभावी क्रियान्वयन निजी विद्यालयों में किया जा सकता है।

13.1 केन्द्र एवं राज्य हेतु सुझाव

राज्य की यह जिम्मेदारी है कि इस अधिनियम के लागू होने के आठ साल की अवधि के भीतर प्रत्येक बच्चे के पड़ोस निकटवर्ती इलाकें मे एक विद्यालय सरकारी या निजी विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करे। यदि पड़ोस में विद्यालय उपलब्ध न हो सके तो राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह बच्चों को निकटम विद्यालय तक का मुफ्त परिवहन प्रदान करे या आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करें। कोटा नहीं होगा, यदि माता–पिता अपने बच्चों को उन विद्यालयों में पढ़ायेंगे तो वे राज्य पर मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का दावा नहीं कर सकेंगे। निजी विद्यालयों में नामांकन की निगरानी के लिए एक तंत्र बनाया जाए।

जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुधारात्मक उपाय लागू किए जाएँ, ताकि हर बच्चे को पूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिले। निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत प्रवेश सम्बन्धित सारी सूचना एवं प्रवेश को मीडिया और बेवसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जाए। सबको समान गुणवत्ता की शिक्षा मिले। यह राज्य की जिम्मेदाारी होगी कि इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के विद्यायल में दाखिल करा दे।

एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रभावी ढ़ाँचा तैयार करना। शिक्षकों को उत्कृष्ट प्राथमिक शिक्षा हेतु गुणवत्ता आधारित प्रशिक्षण देना। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कीर्तिमान हेतु तकनीकी, अनुसंधानात्मक एवं क्षमता निर्णयात्मक संसाधन व सहयोग उपलब्ध कराना। निजी विद्यालयों में अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निगरानी करना और चूक होने पर समुचित कदम उठाना। चूकों अथवा लापरवाहियों के विरूद्ध कदम उठाना।

13.2 विद्यालयों हेतु सुझाव

सरकारी विद्यालय, पूर्ण सहायता प्राप्त विद्यालय एवं आंशिक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय संबद्ध बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य प्राथमक शिक्षा प्रदान करेंगे। खास वर्ग में निर्दैष्ट सरकारी विद्यालय और गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय इस अधिनियम के लागू होने के बाद कमजोर वर्गों के कम–से कम 25 प्रतिशत बच्चों को कक्षा एक में दाखिला देंगे और प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तकया उनके विद्यालय में स्थानान्तरण चाहने तक, जो भी पहले हो, शिक्षा देंगे। संबद्ध राज्य सरकार प्रति बच्चे पर आने वाले खर्च का तय भुगतान विद्यालय को करेंगी। मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के बारे में राज्य सरकार अथवा सबंद्ध सरकार द्वारा नामित अधिकारी विद्यालयों से जो भी सूचनाऐं माँगें, विद्यालयों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उन्हें मुहैया कराएँ। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय न तो बच्चों की, न उसके अभिभावकों की किसी भी तरह की छँटनी करेंगे। साथ ही, कोई भी अभिभावक कैपिटेशन फीस के रूप में कोई भुगतान नहीं करेगा। कोई शिक्षक आर्थिक लाभ के लिए किसी शैक्षिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

बच्चे कहीं भी हिंसा, दुरूपयोग, अपराध और शोषण के शिकार हो सकते है। शोषण की कुछ घटनाएँ विद्यालय परिसर में जबकि अधिकतर घटनाएँ घर या गैर–विद्यालय वातावरण में होती हैं। विद्यालय परिसर के बाहर आपकी कक्षा का एक बच्चा शोषण या अपराध का शिकार हो सकता है। इससे आप अनजान नहीं रह सकते है, बल्कि आप उसकी मदद करें। यह तभी संभव हो सकता है जब आप इन समस्याओं को समय निकालकर उसे समझें और इसका हल निकाले।

अभिभावक–शिक्षक संघ की बैठक में माता–पिता के साथ बच्चों के अधिकतर मुद्दे पर चर्चा करें। शारीरिक दंड को रोकें। बच्चों में अनुशासन लाने के लिए वार्तालाप और सलाह जैसे सकारात्मक सहायक तकनीक का इस्तेमाल करें। भेदभाव को रोके। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति समूह के बच्चों के अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में समझें बच्चों को यह प्रेरणा दे कि उनका अपनी कक्षा में प्रतिदिन जाना जरूरी है। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। बच्चों के दोस्त दार्शनिक और मार्गदर्शक बनें अपने घर और कार्यस्थल पर बाल–श्रम को रोकें।

कोई भी शोध कार्य तभी सफल माना जा सकता है जबकि उसकी शिक्षा के क्षेत्र में उपादेयता हो। प्रस्तुत अध्ययन निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार के के प्रति अध्यापकों तथा अभिभावकों के दृष्टिकोण का पता लगाने के के लिए किया गया था। प्राप्त निष्कर्षों के शैक्षणिक अनुप्रयोग निम्न हो सकते हैः–

1. अध्यापकों तथा अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता अत्पन्न करने के लिए प्रभावी तरीकों के विकास में प्रस्तुत निष्कर्ष सहायक सिद्ध हो सकते है।

2. प्राप्त निष्कर्ष शिक्षा के अधिकार की जानकारी की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के चयन तथा उनमें जागरूकता लाने हेतु वांछित योजना निर्माण का आधार बन सकते है।

3. शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों की जानकारी देकर जागरूकता विकसित करने में प्राप्त शोध निष्कर्षों को आधार बनाया जा सकता है।

4. प्राप्त निष्कर्ष शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों व्यावहारिक रूप में प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग में लाने में सहायक हो सकते हें।

5. शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शिक्षा के अधिकार को व्यावहारिक रूप से सफल बनाने के लिए रणनीति निर्माण में प्रस्तुत शोध निष्कर्ष को आधार बनाया जा सकता है।

6. शिक्षण – अधिगम प्रक्रिया, पाठ्ययचर्या तथा परीक्षा तथा ग्राम–शिक्षा समिति क्षेत्रों के शोध निष्कर्षों को आधार बनाकर विद्यालयों में व्यावहारिक रूप में इन गतिविधियों में सुधार लाया जा सकता है।

7. नामांकन एवम् सुविधायें तथा सरकार की जिम्मेदारियों के क्षेत्रों के शोध निष्कर्षों को शिक्षा के अधिकार को प्रभावी रूप देने में आधार बनाया जा सकता है।

8. पाठ्यक्रम तथा परीक्षा क्षेत्र के निष्कर्षों से पाठ्यक्रम एवं निर्धारित में सहायता ली जा सकती है।

9. शिक्षा के अधिकार को लागू करते समय प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों को आधार बनाकर सफल क्रियान्वयन में बाधक क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है तथा उनका निदान किया जा सकता है।

10. प्राप्त निष्कर्ष तथा प्रादेशिक महत्व की संस्थाओं तथा शिक्षा विभागों के लिए आधारभूत सूचना तथा कार्यक्रम निर्माण का आधार प्रदान कर सकते है।

11. प्राप्त निष्कर्ष शोधकर्ता को इसी विषय पर अन्य क्षेत्र से सम्बन्धित भावी शोध कार्य हेतु प्रेरित करने में सहायक सिद्ध होंगे।

12. विकसित राष्ट्रों की तरह माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने में प्राप्त शोध के निष्कर्षों को आधार रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

14 भविष्य के अध्ययनों के लिए शोध क्षेत्र

भविष्य के अध्ययनों के लिए शोध क्षेत्र

1. प्रस्तुत अध्ययन वाराणासी एवं आजमगढ़ जिले के निजी विद्यालयों को लेकर किया गया है इसे अन्य जिलों को लेकर भी किया जा सकता है।

2. अध्ययन पूरे उत्तरप्रदेष राज्य में अथवा भारत देश के अन्य राज्यों में निजी विद्यालयों को लेकर भी किया जा सकता है।

3. एक अध्ययन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के स्तर को समझने के लिए आयोजित किया जा सकता है।

4. अध्ययन शिक्षा का अधिकार अधिनियम में विशिष्ट बालकों के हितों को ध्यान में रख कर भी किया जा सकता है।

5. अध्ययन सरकारी/प्राईवेट विद्यालयों में विशिष्ट बालकों के नामांकन की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर भी किया जा सकता है।

6. शिक्षा के अधिकार के प्रति अभिभावकों तथा अध्यापकों के दृष्टिकोण पर शोधकार्य माध्यमिक स्तर पर किया जा सकता है।

7. शिक्षक–शिक्षिकाओं तथा अभिभावकों के शिक्षा के अधिकार के प्रति अभिवृति जानने के लिए शोधकार्य किया जा सकता है।

8. शिक्षा के अधिकार के प्रति अभिभावकों तथा अध्यापकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

9. शिक्षा के अधिकार के प्रति छात्र–छात्राओं की अभिवृति का अध्ययन किया जा सकता है।

10. शिक्षा के अधिकार को व्यावहारिक रूप देने में आने वाली बाधाओं के चुनाव तथा उनके निवारण की विधियों पर अध्ययन किया जा सकता है।

11. प्रस्तुत अध्ययन की परिसीमाओं को दूर कर अधिक न्यादर्श लेकर विस्तृत क्षेत्र पर अभिभावकों तथा अध्यापकों के शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण पर शोधकार्य किया जा सकता है।

12. अध्ययन शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी विद्यालयों के शिक्षकों की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर भी किया जा सकता है।

13. अध्ययन विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए भी किया जा सकता है ।

14. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत् पढ़ने वाले विद्यार्थियों एवं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन।

15. ग्रामीण एवं शहरी निजी विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जागरूकता एवं विद्यालय वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन।

15 उपसंहार :–

प्रस्तुत सप्तम् अध्याय में शोधकर्ता ने शोध से संबधित समस्या की प्रस्तावना, समस्या का औचित्य, समस्या कथन, अध्ययन के उद्देश्य, परिकल्पनाऐं, तकनीकी शब्दावली, परिसीमन, शोध अध्ययन विधि, न्यादर्श, उपकरण, शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी निष्कर्ष, सुझाव एवं भविष्य के अध्ययनों के लिए शोध क्षेत्र का सम्मिलित किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ सूची

– एडलर ए. (1964). प्रोब्लम ऑफ न्यूरोसिस, न्यूयॉक : हार्पर एंड से।

– अग्रवाल बी.एल. **"साख्यिकी के सिद्वान्त और अनुप्रयोग"**, जयपुर : राज. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ।

– अग्रवाल, रामनारायण एवं आस्थाना, विपिन, **"मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन"**, आगरा' मनोविज्ञान, सेन्ट जॉन्स कॉलेज।

– अग्रवाल आर.एन. एवं मखीजा जे.के. (1972), **"प्रत्योत्मक मनोविज्ञान"**, आगरा लक्ष्मीनाराण अग्रवाल।

– अग्रवाल वाई.पी. (1990), **"स्टेटीस्टिकल मैथड्स,"** न्यू दिल्ली : स्टर्लिंग पाब्लिकेन्स प्रा.लि.

– **अस्थाना विपिन एवं आस्थाना निधि (2012) शैक्षिक** मूल्यांकन, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा।

– अस्थाना, बिपिन (2009) : **शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी :,** अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।

– अनास्तासी ए. (1952), **''साइकोलोजीकल टेस्टिंग'',** एन.वाई. मैकमिलन।

– आइजेंक (1972), डी.एन श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक प्राक्रियाए. अग्रवाल प्रकाशन, आगरा 2012, 297

– बाडे, बी.एन. ()1940, ''हाउ वी लर्न'' हीथ।

– भास्कर राव, दिग्मूर्ति (2001) : ''डिसेंट्लाईजेशन मैनेजमेंट ऑफ एजुेशन, डिस्करी पब्लिशिंग, हाउस, नई दिल्ली।

– डब्ल्यू बेस्ट जॉन (1958), **''इन्ट्रोडक्शन ऑफ ऐजुकेशन रिसर्च''**, न्यूयार्क।

– ढोंढियाल एवं फाटक (1977), **''शैक्षिक अनुसंधान का विधि शास्त्र''**, जयपुर। राज. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

– फ्रमैन, जे.एस. (1962), **''थ्यौरी एण्ड प्रेक्टिस ऑफ साइकोलोजिकल टैस्टिंग'',** दिल्ली : ऑक्सफोर्ड एण्ड आई.बी.एच.पर्बिलिषिंग कम्पनी।

– गुड, बार व स्केट्स (2004), **''मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च'',** न्यूयॉक मेमिल्स कम्पनी।

– गुप्ता, जितेन्द्र (2020) : **''साम्यवाद, लोकतंत्रा और हाइरॉक्रि''** समयांतर, नई दिल्ली।

– गैस्ट एच. ई. (2013), **''शिक्षा मनोविज्ञान में सांख्यिकी'',** मुम्बई : साइमन एण्ड फैफरर्स प्रा.लि. ।

– जायसवाल, सीताराम, 2015, भारतीय शिक्षा का इतिहास, प्रकाशन केन्द्र, न्यू बिल्डंग, लखनऊ

– कपिल एच.के. (2008), ''एलीमेंट्स ऑफ स्टेटीस्टिकस इन सोशल साईन्स'', आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।

– कार्टर वी. गुड एण्ड स्केट्स (1984), ''मैथड्स ऑफ रिसर्च''।

– कुलश्रेष्ठ, एस.पी. (2011), शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।

– कुमार, कृष्ण (2014) : ''बच्चे की भाषा और अध्यापक'', (पुनर्मुदित), नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।

– कोठारी सी.आर. (2000), ''रिसर्च मैथडोलोंजी'', दिल्ली : विली लि.।

– कॉल, लोकेश (2016), ''शिक्षक अनुसंधान की कार्यप्रणाली'', विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।